न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36 –3–2014–07 (न्यू0वे0)/4 दिनांकः 28–1–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–03 –2019 –931(न्यू0वे0)/06 दिनांकः 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 के औसत अंक 379 पर दिनांकः 1–04–2023 से 30–9–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगाः–

दृष्टान्त–रूपये 5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–379पर दिनांकः 1–04–2023 से दिनांकः 30–9–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

$$\frac{(379-216)}{216} \times 5750 = \text{रू0}-4339/-\text{प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांकः1.10.2022 से 31.3.2023 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में दिनांकः1.04.2023 से 30.9.2023 तक	दिनांकः1.04.2023 से 30.9.2023 तक कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दिनांकः1.04.2023 से 30.9.2023 तक दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	9743	4339	10089	388
2	अर्धकुशल	6325	10717	4773	11098	427
3	कुशल	7085	12005	5347	12432	478

2 ईंट भट्ठा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् हैः–

क्रमांक	श्रेणी	दिनांकः1.04.2023 से 30.9.2023 तक		
1 2	अकुशल कुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0–365	रू0–275	रूपया–640/– प्रति हजार
	भराईवाला (1) 500 मीटर की दूरी तक (2) 500 मीटर से अधिक	रू0–110 रू0–132	रू0–83 रू0–100	रूपया–193/– प्रति हजार रूपया–232/– प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0–110	रू0–93	रूपया–193/– प्रति हजार

1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
3 मिष्ठान उद्योग।
4 वासित पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6 परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8 डेरी और मिल्क डेरी।
9 सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10 बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13 डलाई घर।
14 धातु उद्योग।
15 टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19 होजरी सकर्म।
20 निजी पुस्तकालय।
21 काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
23 तम्बाकू विनिर्माण।
24 धर्मशाला।

25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26 दुकानों में
27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29 तेल मिल।
30 लोक मोटर परिवहन।
31 यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32 आटोमोबाइल रिपेयरी कर्मशाला।
33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35 चिकन के कार्य।
36 दियासलाई उद्योग।
37 आइसकैण्डी/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39 बर्फ विनिर्माणशाला।
40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशचला।
41 लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42 जिल्दसाजी।
43 कोल्ड स्टोरेज।
44 पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45 निजी मुद्रणालय।
46 सिनेमा उद्योग।
47 कपड़ा छपाई।
48 सिलाई उद्योग।
49 ऐलोपैथिक, आयुर्वैदिक, यूनानी फार्मेसी।
50 क्लब
51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54 खाण्डसारी।
55 हथकरघा उद्योग।
56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59 ईंट भट्ठा उद्योग।
60 ताला उद्योग के नियोजन में।
61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्व क्रिया-कलाप सम्मिलित नही है।
64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पों एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टैलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

03.4.2023

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 2-9 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक: 3/4/2023

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6. उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–778/36–3–2011 दिनांकः 18–08–2011 तथा शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या–1778/36–3–2011 दिनांकः 30–10–2011 द्वारा कॉच की चूडी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंको के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 के औसत अंक 379 अंको पर दिनांकः 1–04–2023 से 30–9–2023 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगाः–

दृष्टान्त–रूपये 4300/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–379 पर दिनांकः 1–04–2023 से दिनांकः 30–9–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

$$\frac{(379-181)}{181} \times 4300 = \text{रू0–4704/–प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है:–

कमॉक	श्रेणियॉ	प्रतिमाह मजदूरी रूपये में	दिनांकः 1.10.2022 से दिनांकः 31.3.2023 तक कुल मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांक 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक	
				दिनांक 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में)(3+5)	दैनिक मजदूरी दरें, (रूपये में)(1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4300.00	8695	4704	9004	346
2	अर्द्व–कुशल	4900.00	9908	5360	10260	395
3	कुशल	5450.00	11020	5962	11412	439
4	तारवाला	11150.00	22545	12197	23347	898
5	बेलनिया	7800.00	15772	8532	16332	628
6	पर्यवेक्षक	7550.00	15266	8259	15809	608

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 18-28 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांकः 3/4/2023

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध करांए।
2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

03.4.2023

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–1139/36–1–13–11(सा0)/05 दिनांक: 30–08–2013 तथा पठित शुद्वि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या–1535/36–11(सा0)/05, दिनांक: 21–11–2013 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें जो मासिक की आधार पर निर्धारित की गयी है, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986–87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 654 अंक के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 तक के औसत अंक 1118 अंको पर दिनांक: 1–04–2023 से दिनांक: 30–9–2023 की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगा।

दृष्टान्तः–रूपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1164 पर दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगाः–

$$\frac{(1164-654)}{654} \times 4550 = 3548 \text{ प्रतिमाह}$$

क्रमॉक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.10.2022 से दिनांक: 31.3.2023 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक	
				दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9. 2023 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) **(3+5)**	दैनिकमजदूरी दरें,(रूपये में) **(1/26)**
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4550.00	7525	3548	8098	311
2	अर्द्व–कुशल	5200.00	8600	4055	9255	356
3	कुशल–क	6200.00	10254	4835	11035	424

अधिसूचना संख्या–1130/छत्तीस–1–13–11(सा0)/05 दिनांक: 30 अगस्त 2013 के बिन्दु– 2(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार मात्रानुपाती कार्यो के लिये नियत मजदूरी की दरें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक: से एक वर्ष के पश्चात बढ जायेगीं। अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मात्रानुपाती दरें दिनांक: 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक निम्न प्रकार हैः–

क्रमॉक	कर्मकार की श्रेणी	दिनांक: 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक देय मात्रानुपाती दरें।	
1	बीड़ी रोलिंग के कार्य में	158 रूपये प्रति हजार	
2	चिट लगाने का कार्य में	15.22 प्रति हजार बीड़ी	
3	एक लाख बीड़ी/एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने(लपेटने, लेबल चिपकाने, पैकेट(मोड़ा आदि बनाने के लिये	एक लाख बीड़ी के बण्डल बनाने हेतु	एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने हेतु
	जब एक बण्डल में 25 बीड़ी हों	रूपया 358	रूपया 3.58
	जब एक बण्डल में 24 बीड़ी हों	रूपया 367	रूपया 3.67
	जब एक बण्डल में 20बीड़ी हों	रूपया 412	रूपया 4.12
	जब एक बण्डल में 12बीड़ी हों	रूपया 473	रूपया 4.73
	जब एक बण्डल में 10 बीड़ी हों	रूपया 552	रूपया 5.52
	जब एक बण्डल में 8 बीड़ी हों	रूपया 667	रूपय 6.67
	जब एक बण्डल में 7 बीड़ी हों	रूपया 742	रूपया 7.42

03.4.2023

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 10-17 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक: 3/4 /2023

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेपित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।

2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।

3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से

4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।

5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।

6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेपित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

03.4.2023

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग के नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–801/36–3–2013–79(न्यू0वे0)/07 दिनांकः 25–07–2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कालीन उद्योग के नियोजन में(मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंको के ऊपर प्रश्नगत वर्ष के जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 माह के औसत अंक 379 पर दिनांकः 1–04–2023 से 30–9–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगाः–

दृष्टान्त–रूपये 4500.00/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–379 पर दिनांकः 1–04–2023 से दिनांकः 30–9–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

$$\frac{(379-181)}{181} \times 4500 = \text{रू0–4923/–प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैः–

कमॉक	शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियॉ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियॉ	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांकः 1.10.2022 से दिनांकः 31.3.2023 तक कुल मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांकः 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक	
					दिनांकः 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) **(3+5)**	दैनिक मजदूरी दरें,(रूपये में) **(1/26)**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	अकुशल	4500.00	9099	4923	9423	362
2	अर्द्ध–कुशल	अर्द्ध–कुशल	5000.00	10110	5470	10470	403
3	कुशल–क	कुशल	5400.00	10919	5907	11307	435
4	कुशल–ख	कुशल	5300.00	10717	5798	11098	427
5	कुशल–ग	कुशल	5200.00	10514	5688	10888	419
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	11121	6017	11517	443
7	लिपिक–1	कुशल	5400.00	10919	5907	11307	435
8	लिपिक–2	कुशल	5100.00	10312	5579	10.679	411

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।
संख्या 26-33 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांकः 3/4/2023

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क [illegible]